

12

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक / 2010 जिला-देवास

दि. 162-II/2011

राधाकिशन पुत्र मेघा पाटीदार,
निवासी बरखेडा सोमा तहसील
बागली, जिला देवास म.प्र.

-- आवेदक

विरुद्ध

दुर्लचन्द पुत्र रतनसिंह पटेल, निवासी
ग्राम बरखेडा सोमा तहसील बागली,
जिला देवास म.प्र.

-- अनावेदक


राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर


माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 919/एक/09
निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.04.2010 के विरुद्ध मध्यप्रदेश
भू-राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।




न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक स्थान तथा दिनांक	रिव्यु 162-दो/11	कार्यवाही तथा आदेश	जिला देवास पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-2016		<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 919-एक/09 में पारित आदेश दिनांक 22-4-2010 के विरुद्ध म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण । <p>आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है ।</p> <p>2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।</p>	




(मनोज गोयल)
अध्यक्ष